

### अनुमति की शर्तें ।

- (i) जल पान / पूजाघ के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करता है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजस्वीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में विमन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही विमन किसी दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक नियम को सुधित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत भवनों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फाल्गुन तिथि की केवल आवासीय उद्देश्य के लिए

सहायक नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 369 दिनांक 12/11/2020  
 पत्नी श्री विजय लक्ष्मी जोशी जी को 10-21 फुगल किमी जोशी  
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No-40 की तहत नगर योजना  
 भाग 194 (ए) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु सहायक कार्यालय में पत्र  
 कर स्वनिर्माण राशि रुपये 33268/- जमा  
 करिये रसीद संख्या 9062/2179, 2180  
 दिनांक 12/11/2020 को जमा करा दी है ।

12/11/2020

सहायक नगर नियोजक  
 नगर निगम, जोधपुर

Received  
 विजय लक्ष्मी

9461004430